

न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु
पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरु (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 04 सन् 2022

निर्णय दिनांक 14.02.2022

ए.यू. स्मॉल फायनेन्स बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 19ए- धुलेवश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

- प्रार्थी

बनाम

1. जोरावर सिंह पुत्र जगमाल सिंह, पता- 37, कुए का पश्चिम भाग, बोबासर बीदावतान, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु।
 2. शेरसिंह पुत्र जगमाल सिंह, पता- 37, कुए का पश्चिम भाग, बोबासर बीदावतान, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु।
 3. रूप कँवर पत्नी पूर्णसिंह, पता- बोबासर बीदावतान, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु।
 4. भंवर सिंह पुत्र बीरबल सिंह, पता- बोबासर बीदावतान, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु।
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित :- प्रार्थी अधिवक्ता श्री पंकज सिंह

--: निर्णय :-



- प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को 5,00,000/- रूपये (अखरे पाँच लाख रूपये) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थीगण ने पट्टा संख्या 20661, संकल्प नं. 01 दिनांकित 29.07.2017 ग्राम पंचायत बोबासर बीदावतान, पंचायत समिति सुजानगढ़, जिला चूरु स्थित अचल सम्पत्ति जो कि अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से है, का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है - पूर्व - विक्रम सिंह, पश्चिम में - सवाई सिंह, उत्तर में रास्ता, व दक्षिण में - विरवलसिंह। सम्पत्ति का माप 200.66 वर्गगज (3 फीट x 3 फीट) है।
2. ऋणी अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण को प्रार्थी बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 12.03.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 10.07.2021 को अप्रार्थीगण को सिक्कुरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी / जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।
 3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 07.01.2022 को प्रस्तुत किया गया।
 4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 5. अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है

जिला कलक्टर
18

Securitisation and Re-construction of Financial assets and enforcement of Security interest Act 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरु से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरु को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. उक्त आदेश के विरुद्ध अपील हेतु अप्रार्थी को 30 दिवस का समय दिया जाता है। अतः आदेश निर्णय दिनांक से 30 दिवस पश्चात प्रभावी होगा।
8. निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिंह) ~~सिद्धार्थ सिंह~~
जिला कलेक्टर
चूरु